न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 25/2020

1. घासी राम रेगर पुत्र दूदाराम रेगर निवासी ग्राम भोजपुरा तहसील बदनोर जिला भीलवाड़ा **–अपीलार्थी**	**बनाम**	1. श्रीमती विमला देवी पत्नि श्री प्रेमचन्द रेगर निवासी एफ–51, खटीक मोहल्ला, राजपूत कॉलोनी, सुभाष नगर, भीलवाड़ा **–रेस्पोडेन्ट्स**

अपील अन्तर्गत धारा 16(1) माता–पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 विरूद्ध आदेश उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा बमामले प्रकरण संख्या 01/2020 निर्णय दिनांक 18.09.2020

उपस्थित –

1. श्री सुभाष चन्द्र आचार्य – अधिवक्ता अपीलार्थी।
2. श्री सबदर अली – अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

निर्णय दिनांक : 01.07.2021

अपीलार्थी की ओर से अपील अन्तर्गत धारा 16(1) माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 विरूद्ध आदेश उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा बमामले प्रकरण संख्या 01/2020 निर्णय दिनांक 18.09.2020 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने तथ्यों पर गौर किये बिना और विधि के प्रावधानों पर गंभीरतापूर्वक अवलोकन नहीं कर केवल मेकेनिकल रूप से अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज करने की भारी भूल की है। अपीलाण्ट की ओर से न्यायालय में जो न्यायिक प्रावधान पेश किया, जिसका अधिनस्थ न्यायालय ने अवलोकन नहीं कर व निर्णय में विवेचन नहीं कर उन्हें नजर अन्दाज कर उक्त निर्णय पारित किया है जो अपास्त होने योग्य है। माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के अधीन बताये गये नियमों के अध्याय–5 **"जिला मजिस्ट्रेट के कर्तव्य और शक्तियां"** के अंतर्गत नियम संख्या 20(2)(i) में लिखा गया है कि **"यह सुनिश्चित करना कि जिले के वरिष्ठ नागरिकों का जीवन और सम्पत्ति सुरक्षित है और वे सुरक्षा व गरिमा के साथ जीवन यापन करने में समर्थ हैं"**। इसी नियम के उप नियम 5 में लिखा में लिखा है **"किसी वरिष्ठ नागरिक के जीवन या सम्पत्ति के किसी खतरे की दशा में, जिला मजिस्ट्रेट या सम्य रूप से प्राधिकृत उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी का ऐसे वरिष्ठ नागरिक के जीवन और सम्पत्ति की संरक्षा करने का कर्तव्य होगा"**। अतः निवेदन है कि प्रार्थी को न्याय प्रदान कर पुलिस अधीक्षक महोदय को निर्देश दिलावें कि प्रार्थी का उक्त मकान एफ–51 खटीक मोहल्ला, राजपूत कॉलोनी, सुभाष नगर, भीलवाड़ा को विपक्षी से खाली करवाकर प्रार्थी को सुपुर्द करावें।

...क्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा